मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 67 मई, 2022 अंक 05 कुल पृष्ठ 8

बीकेएस-नाबार्ड रिपोर्ट

(बीकेएस-नाबार्ड द्वारा भारत में कृषि ऋण माफी की रिपोर्ट (शुक्रवार) 22 अप्रैल 2022 को जारी गई हैं, रिपोर्ट की कुछ अंश।)

--- **हरवीर सिंह**

1. कृषि कर्ज माफी से किसानों की स्थिति नहीं सुधरती, विलफुल डिफॉल्ट बढ़ता है:

रिपोर्ट में कहा गया है कि संकटग्रस्त किसान की मदद करने और उसे सशक्त बनाने के तरीकों पर पुनर्विचार की जरूरत है। उन ढांचागत कारकों के गहरे विश्लेषण की जरूरत बताई गई है जिनकी वजह से किसान लगातार संकट में आते हैं। कृषि कर्ज माफी से किसानों के जानबूझकर कर्ज ना लौटाने की संभावना बढ़ जाती है, और ईमानदार किसान भी डिफॉल्ट करने लगते हैं।

कृषि कर्ज माफी से किसानों की स्थिति नहीं सुधरती। कुछ वर्षों के बाद किसान के सिर पर कर्ज का बोझ फिर खड़ा हो जाता है और उसे नई कर्ज माफी की जरूरत पड़ने लगती है। कृषि कर्ज माफी पर भारत कृषक समाज और नाबार्ड की एक स्टडी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कृषि कर्ज माफी से किसानों के विलफुल डिफॉल्टर बनने यानी जानबूझकर कर्ज ना लौटाने की संभावना बढ़ जाती है, और ईमानदार किसान भी डिफॉल्ट करने लगते हैं। कर्ज माफी के प्रति किसानों के व्यवहार को समझने के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के करीब 3000 किसानों से बात की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि संकटग्रस्त किसान को दीर्घकालिक तरीके से मदद करने और उसे सशक्त बनाने के तरीकों पर पुनर्विचार की जरूरत है। इसमें उन ढांचागत कारकों के गहरे विश्लेषण की जरूरत बताई गई है जिनकी वजह से किसान लगातार संकट में आते हैं।

2. संस्थागत स्त्रोतों से ज्यादा कर्ज लेते हैं किसान

रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 89.3 फ़ीसदी, महाराष्ट्र में 79.2 फ़ीसदी और उत्तर प्रदेश में 74.8 फ़ीसदी किसान बैंक जैसे संस्थागत स्त्रोतों से कर्ज लेते हैं। संस्थागत और गैर संस्थागत स्त्रोतों से कर्ज पर ब्याज दरों में भी काफी अंतर है। बैंक या अन्य संस्थाओं से किसानों को 5.9 से 7.7 फ़ीसदी ब्याज पर कर्ज मिलता है, जबकि गैर संस्थागत स्त्रोतों से कर्ज पर उन्हें 9.5 फ़ीसदी से 21 फ़ीसदी तक की दर से ब्याज देना पड़ता है।

कर्ज की राशि के लिहाज से देखें तो

पंजाब में 75 फ़ीसदी, महाराष्ट्र में 83 फ़ीसदी और उत्तर प्रदेश में 76 फ़ीसदी कर्ज संस्थागत स्रोतों से लिया गया। पंजाब के किसान अन्य राज्यों से औसतन ज्यादा कर्ज लेते हैं। पंजाब का एक किसान हर साल लगभग 3.4 लाख रुपए का कर्ज लेता है, जबकि उत्तर प्रदेश का किसान 84,000 और महाराष्ट्र का सिर्फ 62,000 रुपए का कर्ज हर साल लेता है।

किसान कृषि कर्ज का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में भी करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए कर्ज का डायवर्जन पंजाब में सबसे अधिक और उत्तर प्रदेश में सबसे कम पाया गया। स्टडी में यह बात भी सामने आई कि औसत किसान के लिए इस तरह कर्ज की राशि का अन्यत्र इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। यह उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है।

3. किसानों के संकट में आने के कारण

पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों के संकट में आने के कई कारण हैं। इनमें खेती की लागत बढ़ने, फसल या मवेशी को नुकसान और उपज की कीमत में कमी प्रमुख हैं। मौसम से जुड़ी समस्या किसानों को बहुत परेशान करती है। लगातार संकट में रहने के कारण किसान कर्ज के संकट को भी दूसरे संकट के जैसा ही मानते हैं।

जहां तक बिजली कटौती और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, इनका किसानों के पास कोई समाधान नहीं है। अपनी उपज बेचने में भी उन्हें दिक्कतें आती हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या बाजार में होने वाले लेनदेन में अपारदर्शिता और बिचौलियों पर अत्यधिक निर्भरता है। बाजार संबंधित संकट का सामना करने के लिए किसान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) की मदद ले रहे हैं।

श्रम लागत बढ़ने और निम्न क्वालिटी के इनपुट के कारण किसानों की खेती की लागत बढ़ गई है। इससे निपटने के लिए कुछ किसानों ने निजी खर्चे घटाए तो कुछ गैर संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने पर मजबूर हुए।

पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में किसानों को फसल बीमा की सुविधा ना मिलना या बीमे की राशि मिलने में देरी से जूझना पड़ता है। पूंजी की बढ़ती लागत से बचने के उपाय के तौर पर किसान कृषि उपकरण और मशीनरी खरीदने के बजाय उन्हें किराए पर लेना बेहतर समझते हैं,खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में।

4. ज्यादा संकट वाले किसानों को कर्ज माफी का लाभ नहीं

रिपोर्ट के अनुसार तीनों राज्यों में सर्वाधिक संकट वाले 40 फ़ीसदी से अधिक किसानों को कृषि कर्ज माफी का कोई लाभ नहीं मिला। वास्तव में संकटग्रस्त किसानों के एक छोटे समूह को ही कृषि कर्ज माफी का फायदा मिलता है। भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजयवीर जाखड़ ने रूरल वॉयस से कहा, ''कृषि कर्ज माफी की सबसे बड़ी समस्या इसका डिजाइन है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिनका कर्ज माफ होना चाहिए था, वे इसके फायदे से वंचित रह गए। बीकेएस का मानना है कि ग्राम सभा के जरिए उन किसानों की पहचान की जानी चाहिए जो वास्तव में संकट में हैं और जिन्हें कर्ज माफी की जरूरत है।''

रिपोर्ट के अनुसार, जिन्होंने कर्ज माफी का फायदा लिया उन्हें नया कर्ज लेने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। शायद यही वजह है कि जानबूझकर कर्ज डिफॉल्ट करने यानी विलफुल डिफॉल्ट की संभावना बढ़ गई है। 68 से 80

फ़ीसदी किसानों ने इस बात से सहमति जताई। 72 से 85 फ़ीसदी किसानों ने स्वीकार किया कि कृषि कर्ज माफी के बाद ईमानदार किसान भी कृषि कर्ज लौटाने में डिफॉल्ट करने लगे हैं। गैर संस्थागत कर्ज की तुलना में संस्थागत कर्ज के डिफॉल्ट होने की संभावना अधिक रहती है।

स्टडी में कुछ और बातें सामने आई हैं। सिंचित भूमि अधिक होने पर किसान का संकट कम होता है। इसी तरह, जिनका परिवार बड़ा है और जिन्होंने अलग-अलग स्त्रोतों से कर्ज ले रखा है, वैसे किसान कम संकट में आते हैं। गैर संस्थागत स्त्रोतों से ज्यादा कर्ज लेने वाले के लिए संकट भी ज्यादा होता है। यह भी कि कृषि कर्ज माफी से किसान के संकट के स्तर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।

इसलिए जाखड़ के मुताबिक, ''कृषि कर्ज माफी संकट का अस्थायी हल है। सरकार को स्थायी हल तलाशना चाहिए ताकि खेती फायदे का धंधा बन सके। इस तरह कर्ज माफी से बिजली, जल संसाधन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे विभागों का आवंटन प्रभावित होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे भूमिहीन किसान और गरीब प्रभावित होते हैं। इसलिए राज्यों को दूसरे मद का पैसा कृषि कर्ज माफी में लगाने के बजाय ज्यादा संसाधन जुटाने के उपाय करने चाहिए।''

5. संकटग्रस्त किसानों की पहचान के लिए इंडेक्स बने, कृषि कर्ज लेना आसान हो

किसानों की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए हैं। इनमें कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान बनाना और कागजी कार्रवाई काम करना, संकटग्रस्त किसानों की पहचान के लिए इंडेक्स बनाना, कर्ज माफी के बजाय ग्रांट का तरीका अपनाना और किसानों के लिए एनपीए की परिभाषा बदलना शामिल हैं

केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर कृषि कर्ज माफी योजना लाती रहती हैं, इसके बावजूद संकट में फंसे किसानों की स्थिति नहीं सुधरती। कुछ समय बाद फिर से वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। किसानों की इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए कृषि कर्ज माफी पर भारत कृषक समाज और नाबार्ड की एक स्टडी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए हैं। इनमें कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान बनाना और कागजी कार्रवाई काम करना, संकटग्रस्त किसानों की पहचान के लिए इंडेक्स बनाना, कर्ज माफी के बजाय ग्रांट का तरीका अपनाना और किसानों के लिए एनपीए की परिभाषा बदलना शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि कर्ज माफी का मूल मकसद सूखा या बाढ़ जैसी आपदा के समय किसानों और बैंकों की मदद करना था। लेकिन समय के साथ इसका इस्तेमाल बढ़ा और उन किसानों को भी इसका फायदा दिया जाने लगा जो संकट में नहीं थे। इससे इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, बैंक जैसे संस्थाओं से कर्ज का दायरा बढ़ा है, फिर भी अनेक किसान इससे बाहर हैं। देश के सभी किसानों को इसके दायरे में लाने की जरूरत है। इसके लिए एक तो कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान बनाने और कागजी कार्रवाई काम करने की जरूरत है। अक्सर गरीब और अनपढ़ किसानों को बैंकिंग सेवाएं लेने के लिए बिचौलियों की जरूरत पड़ती है। देखा गया है कि बैंक भी ऐसे बिचौलियों को तरजीह देते हैं क्योंकि इससे उनका काम आसान हो जाता है। लेकिन ये बिचौलिए फीस के तौर पर कर्ज राशि का एक निश्चित हिस्सा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तो अनेक किसान यह मानते हैं

फ़ीसदी किसानों ने इस बात से सहमति जताई। 72 से 85 फ़ीसदी किसानों ने स्वीकार किया कि कृषि कर्ज माफी के बाद ईमानदार किसान भी कृषि कर्ज लौटाने में डिफॉल्ट करने लगे हैं। गैर संस्थागत कर्ज की तुलना में संस्थागत कर्ज के डिफॉल्ट होने की संभावना अधिक रहती है।

स्टडी में कुछ और बातें सामने आई हैं। सिंचित भूमि अधिक होने पर किसान का संकट कम होता है। इसी तरह, जिनका परिवार बड़ा है और जिन्होंने अलग-अलग स्रोतों से कर्ज ले रखा है, वैसे किसान कम संकट में आते हैं। गैर संस्थागत स्रोतों से ज्यादा कर्ज लेने वाले के लिए संकट भी ज्यादा होता है। यह भी कि कृषि कर्ज माफी से किसान के संकट के स्तर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।

इसलिए जाखड़ के मुताबिक, ''कृषि कर्ज माफी संकट का अस्थायी हल है। सरकार को स्थायी हल तलाशना चाहिए ताकि खेती फायदे का धंधा बन सके। इस तरह कर्ज माफी से बिजली, जल संसाधन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे विभागों का आवंटन प्रभावित होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे भूमिहीन किसान और गरीब प्रभावित होते हैं। इसलिए राज्यों को दूसरे मद का पैसा कृषि कर्ज माफी में लगाने के बजाय ज्यादा संसाधन जुटाने के उपाय करने चाहिए।''

5. संकटग्रस्त किसानों की पहचान के लिए इंडेक्स बने, कृषि कर्ज लेना आसान हो

किसानों की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए हैं। इनमें कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान बनाना और कागजी कार्रवाई काम करना, संकटग्रस्त किसानों की पहचान के लिए इंडेक्स बनाना, कर्ज माफी के बजाय ग्रांट का तरीका अपनाना और किसानों के लिए एनपीए की परिभाषा बदलना शामिल हैं

केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर कृषि कर्ज माफी योजना लाती रहती हैं, इसके बावजूद संकट में फंसे किसानों की स्थिति नहीं सुधरती। कुछ समय बाद फिर से वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। किसानों की इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए कृषि कर्ज माफी पर भारत कृषक समाज और नाबार्ड की एक स्टडी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए हैं। इनमें कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान बनाना और कागजी कार्रवाई काम करना, संकटग्रस्त किसानों की पहचान के लिए इंडेक्स बनाना, कर्ज माफी के बजाय ग्रांट का तरीका अपनाना और किसानों के लिए एनपीए की परिभाषा बदलना शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि कर्ज माफी का मूल मकसद सूखा या बाढ़ जैसी आपदा के समय किसानों और बैंकों की मदद करना था। लेकिन समय के साथ इसका इस्तेमाल बढ़ा और उन किसानों को भी इसका फायदा दिया जाने लगा जो संकट में नहीं थे। इससे इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, बैंक जैसे संस्थाओं से कर्ज का दायरा बढ़ा है, फिर भी अनेक किसान इससे बाहर हैं। देश के सभी किसानों को इसके दायरे में लाने की जरूरत है। इसके लिए एक तो कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान बनाने और कागजी कार्रवाई काम करने की जरूरत है। अक्सर गरीब और अनपढ़ किसानों को बैंकिंग सेवाएं लेने के लिए बिचौलियों की जरूरत पड़ती है। देखा गया है कि बैंक भी ऐसे बिचौलियों को तरजीह देते हैं क्योंकि इससे उनका काम आसान हो जाता है। लेकिन ये बिचौलिए फीस के तौर पर कर्ज राशि का एक निश्चित हिस्सा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तो अनेक किसान यह मानते हैं

बीकेएस–नाबार्ड द्वारा भारत में कृषि ऋण

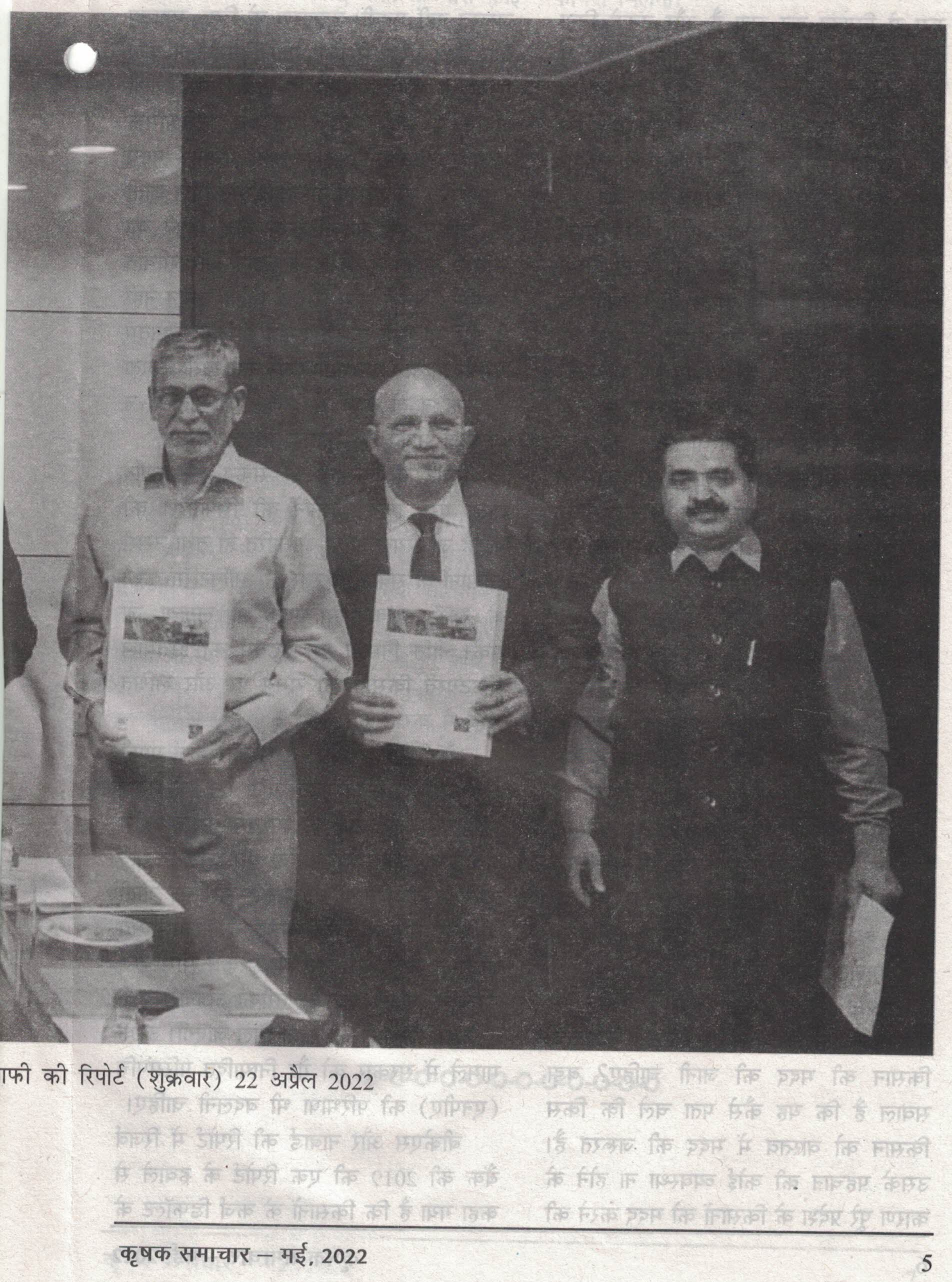

...ाफी की रिपोर्ट (शुक्रवार) 22 अप्रैल 2022

कि इन बिचौलियों को बैंकों ने आधिकारिक रूप से नियुक्त कर रखा है और उनके बिना बैंक से कर्ज नहीं लिया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह चेतावनी देने की जरूरत है कि वे बहुत अधिक कर्ज देने पर जोर ना लगाएं। इससे कर्ज की क्वालिटी खराब होती है।

किराए पर खेत लेकर खेती करने वालों के साथ भी समस्या है। कर्ज के बदले गिरवी रखने का नियम काफी सख्त है। नतीजा यह होता है कि वास्तव में जरूरतमंद किसानों को कर्ज नहीं मिल पाता है। किराए पर खेत लेने वाला किसान तो कर्ज माफी की सोच भी नहीं सकता है। उसके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं होता, इसलिए उसे मजबूरन साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। उन्हें पीएम किसान अथवा किसी अन्य सरकारी योजना का भी लाभ नहीं मिल पाता है।

इस स्टडी के लिए किए गए सर्वे में शामिल किसानों ने बताया कि गैर संस्थागत कर्ज उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और उसके बिना उनकी समस्या और बढ़ जाएगी। एक तो साहूकारों से कर्ज लेना उनके लिए आसान होता है और जब मर्जी उससे पैसे ले सकते हैं। संकट के दिनों में इन साहूकारों की तरफ से की गई मदद को भी किसानों ने काफी सराहा। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को इन निजी कर्जदाताओं पर रोक लगाने के बजाय उन्हें रेगुलेट करना चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, क्या हर क्षेत्र के संकटग्रस्त किसानों या संकटग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक किसान की मदद की जानी चाहिए? बड़ा सवाल है कि यह कैसे पता चले कि किस किसान को वास्तव में मदद की जरूरत है। उसके पहचान की कोई व्यवस्था ना होने के कारण पूरे प्रदेश के किसानों को मदद करने की नीति अपनाई जाती है, जबकि सबको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जिन गन्ना किसानों ने कर्ज लिया था उनमें ज्यादातर के पास सिंचाई वाली जमीन है और उन्हें उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) तथा राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) के रूप में अच्छी कीमत मिल जाती है। लेकिन उन सबको कृषि कर्ज माफी का फायदा मिला। दूसरी तरफ, छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास सिंचाई वाली जमीन नहीं है और जो ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं खरीदा जाता है, उन्हें न तो बैंकों से कर्ज मिल पाता है न ही कर्ज माफी का फायदा मिलता है।

रिपोर्ट में किसानों के संकट को दर्शाने वाला ऐसा इंडेक्स बनाने की सिफारिश की गई है जो रियल टाइम आधारित हो तथा उससे किसानों के संकट के स्तर की मॉनिटरिंग करने के साथ उसका पूर्वानुमान भी लगाया जा सके। नीति निर्माता इस इंडेक्स का इस्तेमाल संकटग्रस्त किसान की समय पर और लक्षित मदद में कर सकते हैं।

औपनिवेशिक काल में सरकारें कर्ज माफी के बजाय संकटकालीन ग्रांट देने के साथ अल्पावधि के कर्ज को मध्यम अथवा दीर्घ अवधि के कर्ज में बदल देती थी। इससे किसान को ग्रांट के रूप में तत्काल मदद मिल जाती थी और साथ ही कर्ज चुकाने के लिए समय भी मिल जाता था। आज भी सरकारें सीधे कर्ज माफी के बजाय ग्रांट का तरीका अपना सकती हैं। इससे किसानों को राहत मिल जाएगी। उनके मामले में सरकार को गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की परिभाषा भी बदलनी चाहिए।

बीकेएस और नाबार्ड की रिपोर्ट में रिजर्व बैंक की 2019 की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि किसानों के कर्ज डिफॉल्ट के

जोखिम से बचने के लिए बैंकों के पास कोई गारंटी स्कीम नहीं है। रिजर्व बैंक ने एमएसएमई सेक्टर के लिए बनाई गई क्रेडिट गारंटी स्कीम की तरह कृषि क्षेत्र के लिए भी क्रेडिट गारंटी फंड बनाने का सुझाव केंद्र और राज्य सरकारों को दिया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि क्रेडिट गारंटी फंड से संकटग्रस्त किसानों की सभी समस्याओं का हल नहीं होगा। किसानों को जिन समस्याओं के कारण कर्ज लेना पड़ता है उनसे वे हमेशा रूबरू होते हैं। इसलिए ऐसा ईकोसिस्टम बनाने की सिफारिश की गई है जो किसानों को अत्यधिक जोखिम से बचाए और मुनाफा कमाने का अवसर प्रदान करे।

किसानों की एक पुरानी समस्या यह है कि उन्हें अपनी उपज की उचित कीमत नहीं मिलती है। गेहूं, चावल, गन्ना और कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को तो एमएसपी, एफआरपी या एसएपी जैसी व्यवस्था का फायदा मिल जाता है, लेकिन जल्दी नष्ट होने वाली उपज के किसानों को पूरी तरह बाजार ताकतों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब उनकी उपज की आवक बढ़ती है तो बाजार में दाम काफी गिर जाते हैं और किसानों को औने-पौने दाम में उपज बेचनी पड़ती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों के लिए मार्केटिंग के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। एपीएमसी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ अगर निजी क्षेत्र को भी किसानों से उपज खरीदने में शामिल किया जाए तो उन्हें बेहतर कीमत मिल सकती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने से भी इसमें फायदा मिलेगा।

रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव को दूर करने की भी सिफारिश की गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों में किसानों को बिजली मुफ्त मिलने से भूजल का बेजा इस्तेमाल होता है। इसलिए बिजली का उचित शुल्क किसानों से लिया जाना चाहिए। इससे बिजली की सप्लाई में भी सुधार आएगा। बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुधार जारी रखने की जरूरत है। बिजली के अलावा ग्रामीण इलाकों में अच्छी सड़कों का नेटवर्क भी तैयार करना जरूरी है। इससे किसान खरीदारों के साथ बेहतर जुड़ सकेंगे और उन्हें अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी।

रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम - आरडब्ल्यूबीसीआईएस) अच्छा कदम है, लेकिन ऐसे अनेक मामले सामने आए है जिनमें किसानों को बीमा राशि का भुगतान काफी देर से हुआ या नुकसान की तुलना में बीमा राशि बहुत कम मिली। विभिन्न फसलों के लिए मौसम आधारित और यील्ड आधारित बीमा योजना लागू करने की जरूरत है। हालांकि फसल बीमा एक मुश्किल स्कीम है और विकसित देशों को भी इसे लागू करने में दिक्कतें आई हैं। इसमें लगातार मूल्यांकन की जरूरत है ताकि किसानों को पर्याप्त और समय पर बीमा राशि का भुगतान मिले।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

RNI No. 831/1957 **प्रकाशन की तिथि : 1 मई, 2022**
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23 एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–6,
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2021-23 **तारीख 4 एवं 5, मई 2022**

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता हैः

नामः ____________________

सदस्यता संख्याः ____________________

वर्तमान पताः ____________________

____

टेलीफोन नंबरः ____________________

मोबाइल नंबरः ____________________

ईमेलः ____________________

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल दिनांक 30 नवंबर 2021 तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**